



३

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-नीमच

उदय सिंह पिता कालू सिंह जी राजपूत,
निवासी— ग्राम सगराना तहसील व जिला
नीमच (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1— श्रीमती मोहनाबाई पत्नी स्व. श्री रूपचन्द्र जी
- 2— श्रीमती रेणू कुमारी पत्नी ज्ञान सिंह जी
निवासीगण— नीमच (म.प्र.)
- 3— मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 38-I/2010 निगरानी में
पारित आदेश दिनांक 27.09.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

✓

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 4139-एक / 12
स्थान तथा दिनांक

जिला नीमच

पक्षकारों एवं अभिभावक
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
14-9-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27-9-2012 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 38-पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2012 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <p>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</p> <p>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या</p> <p>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण ।</p> <p>आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।</p> <p>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष